

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)

--: आदेश :-

कमांक / 450 / एस.डब्ल्यू. / 2020

बलौदाबाजार, दिनांक 23.03.2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए स्थिति की समीक्षा हेतु विकासखण्ड स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा करने हेतु निम्नानुसार कोर कमेटी गठित की जाती है :-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी                       | -अध्यक्ष    |
| 2. तहसीलदार (जहां अनुविभाग मुख्यालय न हो)       | -अध्यक्ष    |
| 3. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)                   | -सदस्य      |
| 4. तहसीलदार (अनुविभाग मुख्यालय पर)              | -सदस्य      |
| 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत         | -सदस्य      |
| 6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी                        | -सदस्य सचिव |
| 7. खण्ड शिक्षा अधिकारी                          | -सदस्य      |
| 8. बाल विकास परियोजना अधिकारी                   | -सदस्य      |
| 9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / पंचायत | -सदस्य      |
| 10. सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षक        | -सदस्य      |
| 11. मितानिन ब्लाक लेबल कोआर्डिनेटर              | -सदस्य      |

विकासखण्ड स्तरीय कोर कमेटी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे विकासखण्ड स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में उठाये जा रहे एहतियाती उपायों की समीक्षा किया जाकर जिला स्तरीय कोर कमेटी को अवगत कराया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



पृ. कमांक / 451 / एस.डब्ल्यू. / 2020  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विकासखण्ड स्तरीय कोर कमेटी के समस्त सदस्य को पालनार्थ प्रेषित।

*K. K. Goel*  
23-03-2020  
(कार्तिकेया गोयल) I.A.S  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा  
बलौदाबाजार, दिनांक 23.03.2020

*K. K. Goel*  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा